शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 मार्च 2015
पीअर रीव्यूड रिसर्च जर्नल

सम्पादकीय

गौवंश हत्याबंदी में निहित ग्रामस्वराज्य की संभावना

डॉ.पुष्पेन्द्र दुबे

संत विनोबा के आदेश पर देवनार कत्लखाने के समक्ष 11 जनवरी सन् 1982 में प्रारंभ किए गए सत्याग्रह का पहला चरण पूरा हो गया। यद्यपि विनोबा ने इस मांग के साथ सत्याग्रह प्रारंभ करने का आदेश दिया था कि 'भारत में किसी भी उम्र के गौवंश के कत्ल पर प्रतिबंध लगाने के लिए केंद्रीय कानून बनाया जाए और मांस निर्यात पर रोक लगाई जाए। इस मांग की आंशिक पूर्ति महाराष्ट्र में हुई है जहां गौवंश हत्या विधेयक मंजूर हो गया है। महाराष्ट्र में संपूर्ण गौवंष हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक महाराष्ट्र पषु संरक्षण विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर उसे राज्य सरकार को भेज दिया है। यह विधेयक तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। विगत 19 सालों से यह विधेयक लंबित था। इस कानून के अनुसार महाराष्ट्र में गौवंश का मांस बेचना और रखना कानूनन अपराध बन गया है। गौमांस बेचने और रखने वाले को पांच साल तक की जेल और दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। वैसे तो सन् 1976 से महाराष्ट्र में गौहत्या पर प्रतिबंध है, लेकिन स्थानीय प्रशासन से फिट फार स्लाटर का सर्टिफिकेट हासिल कर बछड़ों और गायों का कत्ल किया जा सकता था। लेकिन स्थानीय प्रशासन से सन् 1995 में महाराष्ट्र जीव संरक्षण विधेयक में बदलाव करते हुए भाजपा-शिवसेना सरकार ने गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया था।

अब जबकि लंबे अर्से से चली आ रही एक मांग पूरी हो गई है, उसके बाद सरकार और समाज की जिम्मेदारी बढ़ गई है। सरकार की नीतियों के कारण खेती से गौवंश लगभग बेदखल हो गया है। खेती के यंत्रीकरण से बैल के पास केवल साठ दिन ही काम बचा है। देश में चारे और पशु आहार की समस्या बहुत बड़ी है। चारे का उपयोग बिजली बनाने अथवा अन्य वस्तुएं बनाने के लिए किया जा रहा है। गांव में चरनोई की जमीन पर बड़े किसानों का कब्जा है। परिवहन के साधनों में बैलगाड़ी पिछड़ गयी है। खेती के इर्दगिर्द खड़े लघु उद्योग धंधे या तो टूट गए हैं या टूटने की कगार पर हैं। आज किसानों को आत्महत्या इसलिए करना पड़ रही है, क्योंकि अकेले खेती के आधार से जीवित रहना असंभव होता जा रहा है। गौवंश के उपयोग को बढ़ाने के लिए ग्राम आधारित योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत गौवंश पर प्रतिबंध लगाना होगा। महाराष्ट्र के सभी गांवों में ग्रामसभा के माध्यम से सामूहिक गौशालाओं की स्थापना और संचालन करना होगा। इन गौशालाओं में दूध की आपूर्ति के लिए देशी गायें, खेती में उपयोग के लिए बैलशाला, नस्ल सुधार के लिए श्रेष्ठ नंदी हों। गौषाला से लगा हुआ जैविक खाद का कारखाना हो, जहां से ग्रामीणों को खाद दी जा सके। गांव से बाहर चर्मस्रिवण केंद्र हो, जहां मरे हुए पषुओं का चमड़ा और अन्य सामग्री को वैज्ञानिक तरीके से निकाला जा सके। इससे चर्मकारी उद्योग को

पुनर्जीवित किया जा सकता है। पंद्रह से बीस किलोमीटर के परिवहन के लिए बैलगाड़ी को अनिवार्य किया जाए, जिससे सुतारी और लोहारी उद्योग को पुनर्जीवन मिलेगा। विद्यार्थियों को विद्यालयों तक पहुंचाने में बैलगाड़ी का उपयोग किया जाए। गांव में स्थापित स्वास्थ्य केंद्र पर पंचगव्य आधारित चिकित्सा पद्धति का उपयोग हो और उसके अनुसंधान की व्यवस्था हो। गौउत्पादों की ब्रांडिंग गांवों के नाम से हो। प्रत्येक गांव को गौवंश आधारित संस्कृति और अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ग्रामवासियों को खुद ही पहल करना होगी। गौवंश हत्याबंदी विधेयक में ग्रामस्वराज्य की संभावनाएं निहित हैं।

अंत में - गौवंश हत्याबंदी विधेयक लागू होने के बाद उन लोगों के सामने आजीविका का संकट उपस्थित हो गया है, जो इस काम में लगे हुए थे। वे बेरोजगार हो गए हैं। उनके पुनर्वास के लिए सरकार को शीघ्र कदम उठाना चाहिए। उन्हें भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाकर उनका उपयोग कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में करना चाहिए, जिससे उनकी आजीविका सुनिष्चित की जा सके।